

2022/341

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

नवर लाल

बनाम

कमला

करण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 91 / 2022

रेख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
----------	--------------------------------	--

18/22

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री बलरामदास के अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु तलब किया जावे। सम्मन जरिये रजि. डाक से भिजवाये जावे। मिसल दिनांक 10/8/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

कार/पसकारान के अधिवक्ता

10/8/22 बलरामदास
सीठाना-...
...
... 28/8/22 ...

18/8/22

पत्रावली लफ्तुना खल वरु ने अ.प्रार्थी 1-15 की नोट से अधि- R.P. लैन्दा ने बकालत/गण पेश किया। वकील नारायण ने प्रार्थना पत्र O.R.10 (2) CPC पेश किया जिस पर वकील अप्रार्थी ने No Obj. किया। इ.प्र. प्रार्थना पत्र O.R.10(2) CPC स्वीकार किया। प्रार्थी 16 आनन्दन को पत्रावली से नारायण पत्रावली वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी लोख्य। से 15 की नोट से इकबाली लकव पेश किया। जिसकी प्रति वकील नारायण को दियाते हुए आदिन दिनांक रहे। पत्रावली बास्ते बकाया (लकन) अप्रार्थी 17 हेतु दिनांक 24/8/22 को पेश की।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

24/8

अकार/पञ्जकार क आधक

गोठालीन अग्रिमारी जी विटिंग वी/अधक
अधकाण पर गठे हुए है इसलिये इतक
अधके समक्ष विनाकि 29/8/22

29/8/22

गोठालीन

अधकाण

अधके समक्ष

अधकाण

दिनांक

माधक

जवाब/अधक

अधकाण

अधकाण

दिनांक 6/9/22

06/9/22
~~29/8/22~~

पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाथ उप। प्रार्थना पत्र
प्रार्थी का पत्र अस्वीकार कर खारिज
किया जाता है। विरहूत आदि प्रार्थना
से लिखा जाकर शामिल जिला
फिरा जाय। पत्रावली नभर से रक्त
घर वाद जाया शायकी दाखिल
दफ्तर रहे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयल

प्रार्थी

1

2

अप्रार्थ

1

1

उपस्थि

1. अर्

2. अधि

3. अप्र

4. अप